

बेबी रानी मौर्य,
राज्यपाल एवं कुलाधिपति,
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
देहरादून।



राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

पत्र संख्या : /जी0एस/शिक्षा C12-1 (II)/2017
देहरादून: दिनांक 14 जुलाई, 2020

- आदेश -

एदत्द्वारा, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति पद के कार्य दायित्वों हेतु उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2015 के परिनियम-7 (4) के अन्तर्गत की गई अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धी आदेश संख्या 4328/जी0एस0/शिक्षा C12-1(II) दिनांक 13 मार्च, 2020 को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (यथासंशोधित) की धारा-11 की उपधारा (1) एवं धारा-11 (6) के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार की संस्तुति के क्रम में डा0 सुनील कुमार जोशी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी तीन वर्ष या 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति पद पर नियुक्त किया जाता है।

ए0/-

बेबी रानी मौर्य
कुलाधिपति।

संख्या 717 (1) जी0एस0 शिक्षा / C12-1(II) /2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3-निजी सचिव, मा0 मंत्री आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 4-सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
- 6-डा0 सुनील कुमार जोशी, विभागाध्यक्ष, शल्य विभाग, ऋषिकुल कैम्पस हरिद्वार।
- 7-डा0 अरुण कुमार त्रिपाठी, प्राचार्य काय चिकित्सा, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
- 8-कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 9-निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।
- 10-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव श्री राज्यपाल।